न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2022

आरसीएमएस नं. 2022/00134

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

जगतार सिंह पुत्र श्री तोता सिह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) ——अपीलार्थी

बनाम

1. गुरजण्ट सिह पुत्र जगतार सिह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—असल रेसपोडेण्ट

2. सुखमन्द्र सिह पुत्र जगतार सिह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमागनढ।

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ

निर्णय दिनांक 21.12.2021, संशोधित आदेश दिनांक 31.01.2022

प्र. सं. 400/2021 अनवान गुरजण्ट सिंह बनाम जगतार सिह आदि

उपस्थितिः—

श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय   दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय क समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनतर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 3 यूटीएस, खाता संख्या 119/38 व चक 1 यूटीएस खाता संख्या 96/38 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं0 1 क नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है तथा घरू बंटवारा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजी प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज होने के कारण विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा अप्रार्थी संख्या पूर्व में 05 बीघा भूमि बिना किसी जरूरत के बेचान किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा जिस पर विचारण न्यायलाय द्वारा दिनांक 21.12.2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के उपरान्तत दिनांक 31.01.2022 को संशोधित आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पैतृक समति हो। विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश के तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं को किस प्रकार प्रमाणित माना है यह स्पष्ट नहीं किया है। विचारण न्यायालय के संशोधित आदेश के उपरानत मगर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है। प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण की आराजी को अपने इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है तथा अपने आधिपत्य व धारण की आराजी पर ऋण सुविधा प्राप्त करने व उसको बेचान करने की सुविधा में अन्य कोई प[illegible]ता है। अपीलाण्ट के हक हिस्सा की आराजी में रेस्पो[illegible] नहीं है। अपीलाण्ट को प्रश्नगत आराजी अपनी माता [illegible] त्याग से प्राप्त हुई है। प्रश्नगत आराजी अपनी बहिन से प्राप्त होने [illegible] कारण अपीलाण्ट की स्वअर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्पति है जिसमें किसी का हक हिस्सा निहित नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं की। अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना संशोधित आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की शुरू से ही जानकारी रही है। अपीलाण्ट ने देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलाण्ट ने न्यायालय को मुगालता में रखकर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है तथा उक्त स्थगन आदेश प्राप्त करते ही अपीलण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के हक व हिस्सा को मारने के आशय से दिनांक 05.05.2021 को चक 3 यूटीएस की 3 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। जबकि उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हक व हिस्सा की थी। अपीलाण्ट के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें रेस्पोडेण्ट का हक हिस्सा है जिसे अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष्न में है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. विचारण न्यायलाय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र अस्थाइ निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिसमें दिनांक 12.12.2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया एवं दिनांक 31.01.2022 को संशोधित आदेश पारित किया। विचारण न्यायलय में [illegible] अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर वि[illegible] पारित नहीं किया हैं। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय[illegible] अधिकारों का निर्धारण होना है मगर प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट एक [illegible]भिलिखित खातेदार काश्तकार है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अभिलिखित खातेदार कातश्कार होने के कारण उसे अपने आधिपत्य एवं धारण की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के पूर्ण स्वतंत्रता है। जिसके विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को स्थगन आदेश पर सुनकर पुनः निर्णय पारित करना चाहिए था क्यों कि पूर्व में स्थगन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2021 व सवंशोधित आदेश दिनांक 31.01.2022 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एक माह में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/7/22

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested